संख्याः 102 /XXX(2)/18/30(13)/2017

प्रेषक,

**राधा रतूड़ी,**
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव,**
   **उत्तराखण्ड शासन।**
2. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)**
   **उत्तराखण्ड शासन।**
3. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल/समस्त जिलाधिकारी,**
   **उत्तराखण्ड।**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,**
   **उत्तराखण्ड।**

**कार्मिक अनुभाग–2** **देहरादूनः दिनांक 14 अप्रैल, 2018**

**विषयः– स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत धारा–4(3) के अनुसार किये जाने वाले स्थानांतरण हेतु सुगम–दुर्गम जनपदों का निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की **धारा–4, कार्मिकों की पद स्थापना हेतु वर्गीकरण** में कार्मिकों की पदस्थापना हेतु निम्न 03 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

1. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना जनपद मुख्यालय से ग्राम स्तर तक के लिए किये जाने की व्यवस्था है।
2. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना मण्डल स्तर तक किए जाने की व्यवस्था की गयी है।
3. ऐसे कार्मिक, जिनकी पदस्थापना राज्य स्तरीय होती है तथा उनकी पद स्थापना शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

संगत अधिनियम की धारा–4 में उपबंधित वर्गीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा–5 द्वारा सुगम–दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन और उसका प्रकटीकरण का दायित्व प्रत्येक विभाग के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान किया गया है।

2. वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

"इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

3. उक्त के क्रम में यथा प्रक्रिया अनुमोदनोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–4(3) तथा अधिनियम के परिशिष्ट–3 में उल्लिखित कि जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानांतरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है, उनके लिए सभी विभागों में राज्य के जनपदों का सुगम–दुर्गम क्षेत्र निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

**1–सुगम जनपद :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1–देहरादून | 2–हरिद्वार | 3–उधमसिंह नगर |
| 4–नैनीताल | 5–अल्मोड़ा | 6–टिहरी |

**2–दुर्गम जनपद :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1–पौड़ी | 2–उत्तरकाशी | 3–चमोली |
| 4–रूद्रप्रयाग | 5– चम्पावत | 6–बागेश्वर |
| 7. पिथौरागढ़ | | |

4. अतएव इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–4(3) के अन्तर्गत किये जाने वाले स्थानांतरणों के संबंध में उक्तानुसार सुगम–दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित जनपदों के अनुसार यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**भवदीया,**

**(राधा रतूड़ी)**
प्रमुख सचिव

**संख्याः / XXX(2)/2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सूचनार्थ प्रेषित।

**आज्ञा से,**

**(सुनीलश्री पांथरी)**
अपर सचिव।